# राजस्थान सरकार
## परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (198) परि/नियम/मु0./2010/पार्ट /52474 जयपुर, दिनांक 8/7/14

**कार्यालय आदेश 21/2014**

विषय :– वाहनों के पंजीयन अनुक्रमांक प्रदर्शित करने के संबंध में।

विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड आधारित कम्प्यूटरीकरण एवं वाहन सॉफ्टवेयर की नई व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से कार्यालय आदेश संख्या 12/2005 दिनांक 17.02.2005 एवं तत्पश्चात् संशोधित कार्यालय आदेश संख्या 17/2005 दिनांक 18.03.2005 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन अनुक्रमांक, जो पूर्व में 11 डिजिट में जारी किए जा रहे थे को 10 डिजिट तक सीमित करने हेतु एक सारणी द्वारा पूर्व में आवंटित अनुक्रमांक को परिवर्तित कर नए क्रमांक जारी करने के निर्देश दिये गये थे।

इस क्रम में पूर्व में आवंटित 11 M एवं 12 M सीरिज को क्रमशः BM एवं CM में परिवर्तित करने के निर्देश थे। इस संबंध में कम्प्यूटरीकरण में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों एवं पूर्व में जारी आदेश की व्याख्या में भ्रांति उत्पन्न होने के कारण सीरिज आवंटन में हो रही त्रुटियों/समस्याओं के निवारण के लिए पूर्व में जारी आदेश संख्या 17/2005 की सारणी में निर्देशानुसार 11 M एवं 12 M में पंजीकृत वाहनों को 11 डिजीट से 10 डिजीट के पंजीयन अनुक्रमांक में परिवर्तन हेतु नई आवंटित सीरीज क्रमशः BM एवं CM क स्थान पर AA व AZ की जाती है।

अतः सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वाहन स्वामी को वाहन के संबंध में दी जाने वाली सेवाओं के साथ ही उपरोक्त नवीन संशोधन के अनुसार वाहन के पंजीयन अनुक्रमांक में परिवर्तन किया जावे।

8/7/2014

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक : एफ 7 (198) परि/नियम/मु0./2010/पार्ट/52475-478 जयपुर, दिनांक 8/7/14

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अपर परिवहन आयुक्त ............................ जोन।
2. समस्त प्रादेशिक/अति० प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी.................... ।
3. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (नियम)